बुन्देलखण्ड की सौंर जनजाति का सामाजिक आर्थिक स्तरः जिला-टीकमगढ़ का एक दृष्टांत

* डॉ. आर. पी. तिवारी, * डॉ. डी. पी. चतुर्वेदी

वुन्देलखण्ड सामाजिक दृष्टि से मिश्रित, परम्परागत और अनुसूचित जाति बाहुल्य भूभाग है। इस क्षेत्र में आदिवासी अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में सौर के साथ–साथ राउत तथा सहारिया जनजाति पायी जाती है। जो 2001 की कुल जनसंख्या का मात्र 9.65ः है जो 16.46ः ग्रामीण और 1.84ः नगरीय क्षेत्र के रूप में आवासित पायी जाती है। बुन्देलखण्ड के दक्षिणी भाग के पठारी वनों के निकट आवासित यह जनजाति जिला टीकमगढ़ के अतिरिक्त दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर तथा दमोह जिले में भी वितरित है।

पठारी भूभाग पर आवासितों की अर्थ व्यवस्था वन सम्पदा पर आधारित होने तथा सामाजिक परम्पराओं एवं रूढ़ियों से ग्रसित होने के कारण यह जनजाति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के साथ साथ विकास की मुख्य धारा से अलग थलग होकर सामाजिक कुरीतियों में जकड़ी दिखाई देती है। यद्यपि इस जनजाति में कृषि पर निर्भरता (शासन द्वारा प्रदत्त भूमि के माध्यम से) बढ़ी है किन्तु पुरुष वर्ग में आर्थिक नकारात्मक सोच के कारण आलसीपन और मदिरापान जैसी कुरीतियां प्रायः विद्यमान रहती है। जिसके परिणाम स्वरूप उनमें विकसित मानसिक चेतना वृत्ति का अभाव पाया जाता है। किये गये सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि इनके समाज में पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां प्रायः कर्मठ, साहसी, जोखिम उठाने की क्षमता वाली तथा कदाचित स्वेच्छा चारिणी भी होती है। और इतर संबंधों के प्रति इनका सोच अत्यंत खुला होता है। कही कही सौर जनजाति की महिलाओं ने आर्थिकी को विकसित करने में भी इन संबंधों को सहज स्वीकार किया है। कुछ ने यह भी स्वीकार किया है। कि पुरूष वर्ग के द्वारा काम न करने की प्रवृत्ति के कारण परिवार चलाने के लिये विवशता पूर्वक यह कार्य करना होता है, यद्यपि इनका प्रतिशत अत्यंत न्यून है। प्रस्तुत भोध ा पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है। कि इस जनजाति में सौर और के रूप में स्पष्ट भिन्नता नही है । सेन्सस ऑफ इंडिया द्वारा इस जनजाति को कंडिका 44 तथा 46 पर पंजीकृत दर्शाया गया है किन्तु इनके विभाजन के आधार सामाजिक विभिन्नताओं के रूप में प्राप्त नही हुये है अतः इन दोनों जनजातियों को भारतीय जनगणना में किस प्रकार अलग अलग दर्शाया गया है यह कहना अधिक कठिन है। क्योंकि इनमें एक जैसी सामाजिक परम्परायें, रूढ़िवादितायें, सामाजिक विभिन्नतायें और जटिलतायें पायी जाती है औसतन कुल पशु संख्या का 7.3ः इन और जनजाति के लोगों के पास प्राप्त है पशु संपदा का यहां के सौर कृषि कार्यो के अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन, तथा अन्य व्यापारिक कार्यो के लिये प्रयोग करते है। सौर जनजाति के लोग दीपावली पर पशुओं की पूजा करते है, तथा इन्हें देवता तुल्य मानते है। पशुओं को इस दिन सजाया जाता है।

परिवार का आकार (Size of family)—जिला टीकमगढ़ में पाई जाने वाली इस सौर जनजाति जिसकी कुल जनसंख्या का मात्र 4.83ः हैं, सौंर जनजाति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों, वन्यग्रामों तथा कुछ नगरों में स्थित पाई जाती है। 11 राजस्व निरीक्षक मण्डलों में है। जिले में यह जनजाति कुल जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों में 10ः या उससे अधिक में पायी जाती है। इस भू–भाग की सौर जनजाति का पारिवारिक आकार के अन्तर्गत 5–6 व्यक्ति प्रति परिवार की औसतन संख्या के साथ है। बृद्ध महिलायें प्रायः प्रत्येक परिवार में पाई जाती है। प्रत्येक परिवार के औसतन 4–6 बच्चे होते है। अधिकांश परिवार स्वास्थ्यहीन और गरीबी के शिकार है। इनकी आर्थिक स्थिति का मूल आधार एकमात्र कृषि और मजदूरी है। ग्रामीण परिवेश में जीवन जीने के कारण इन परिवारों के पास अभावग्रस्त जीवन स्तर जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। उस पर भी सामाजिक उपेक्षा के कारण इनका जीवन अत्यधिक कृटप्रद हो जाता है। सौर जनजाति के कुल परिवारों में से 44.71ः परिवार एकाकी परिवारों के रूप में पाये जाते है। तथा यहां 55. 29ः संयुक्त परिवार के रूप में निवास करते है। ये वे परिवार है। जिनमें एक से अधिक एकाकी परिवार संयुक्त रूप से एक ही परिवार के मुखिया के साथ रहकर अपना संयुक्त जीवनयापन करते है। ये सभी सौंर परिवार में से एकाकी एवं संयुक्त परिवार प्रत्येक ग्राम और नगर में वितरण पाये जाते है।

शिक्षा(Education)—जिला टीकमगढ़ में सौंर जनजाति की साक्षरता को जानने के लिये व्यक्तिगत सर्वेक्षण किया गया। जिले के जिन ग्रामों में सौर जनजाति की जनसंख्या 25ः से अधिक है उन्हें अध ययन के लिये चुना गया । 2001 की जनगणना के अनुसार जिला टीकमगढ़ जिले में साक्षरता 24.16ः है। जिला टीकमगढ़ की सौर जनजाति में उनकी कुल आवादी का 17.31ः लोग ही साक्षर है। किये गये सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि पुरानी पीढ़ी के लगभग 90ः लोग अशिक्षित है। स्कूल जाने वाले बच्चों में केवल 36ः प्राइमरी स्कूल के ऊपरी स्तर तक पहुंच पाते है। जिसमें 65ः बहुत कम उम्र में ही स्कूल जाना बन्द कर देते है। सर्वेक्षण के दौरान सौर जनजाति की साक्षरता में कमी के कारणों का पता लगाया गया और यह पाया गया कि यह समस्या जटिल तथा इसकी जड़े अत्यंत गहरी है। जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण है। * अभिभावको में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव। * घरेलू एवं सामाजिक दायित्वों में बालक बालिकाओं की सहभागिता। * आर्थिक दशा का अत्यंत दयनीय स्तर। * बढ़ती उम्र के लड़के व लड़कियां धनोपार्जन का आधार बनते है। * आर्थिक विपन्नता के कारण स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति। * आदिवासी ग्रामों में शिक्षा सुविधाओं की भारी कमी। * छोटे बच्चों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिये घर पर किसी की आवश्यकता। * अधिकांश आदिवासी ग्रामों में संपर्क सुविधा का अभावहैं तथा ग्रामों की बीच की दूरी का अधिक होना। जिला टीकमगढ़ की सौंर जनजाति में शैक्षणिक दर अत्यन्त कम है। महिलाओं में साक्षरता की स्थिति अत्यंत दयनीय हैं पुरूषों की तुलना में महिलाओं में अशिक्षा लगभग 95.00ःअधिक है। बीच में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या 49.00ः है। जबकि लड़कों की संख्या 29.00ः है। सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है। कि सौंर जनजाति में साक्षरता दर बढ़ाने के लिये शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। विशेष कर महिलाओं में साक्षरता को प्रोत्साहित करना अतिआवश्यक है। स्वतंत्रता के 60 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सौंर जनजाति में अशिक्षा, पिछड़ापन, बेरोजगारी तथा सामाजिक और आर्थिक असंतुलन आज भी विद्यमान है।

विवाह की उम्र(Age at Marriage)—सौंर जनजाति में विवाह की आयु अन्य जातियों के समान होती है। इनके 37.69ः पुरूष

* प्रोफेसर, भूगोल विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़ (म.प्र.)

तथा 38.83ः महिलाओं का विवाह 16 से 18 वर्ष की उम्र हो जाता है। अधिकांश पुरूषों (69.23ः) का विवाह 16 से 21 वर्ष के बीच की उम्र में हो जाता है, जबकि 61.16ः महिलाओं का विवाह 13 से 18 वर्ष की आयु के बीच हो जाता है। उल्लेखनीय है कि लगभग 12.08ः का विवाह 10 से 12 वर्ष के आयु में हो जाता है। जिसमें महिलाओं का प्रतिशत अधिक (20.96ः) होता है।

अर्थव्यवस्था(Economy)—अध्ययन क्षेत्र में सौंर जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि कार्य तथा वनोपज पर सम्मिलित रूप से निर्भर दिखाई देती हैं विगत दशकों से लगातार घट रहे वन क्षेत्र के कारण इन्हें विवशतापूर्वक कृषि को अपनाने के लिये बाध्य होना पड़ा है। अधिकांश सौंर जनजाति के युवक इस क्षेत्र का परम्परागत उद्यम अर्थात किसानों के यहां मजदूरी कार्य करते है। इन्हें यह कार्य अति न्यून वृत्ति पर विवशता पूर्वक करना पड़ता है। यह कार्य भी इन्हें वर्ष भर के लिये उपलब्ध नही होता । किये गये सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता हैं कि लगभग 20.00ः सौंर परिवारों को पूरे वर्ष के लिये कार्य उपलबध होता है। 80.00ः के लिये कार्य वर्ष भर उपलब्ध न होने के कारण ये कृषि के अतिरिक्त निकटवर्ती कस्बों अथवा नगरों में सड़क एवं भवन निर्माण आदि कार्यो में सहयोग देते है। सौर जनजाति में आर्थिक आश्रितता कृषि के साथ–साथ वनों पर भी केन्द्रित है। वन द्वारा इन्हें इस क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में महुआ प्राप्त होता है। जिससे ये दो तरह के कार्य अपनी जीविकोपार्जन के लिये करते है। महुआ के फूल से ये कच्ची दारू (शराब) का निर्माण करते है। इस शराब को स्वयं के साथ–साथ ग्रामीण अंचलों में अन्य समुदाय के लोगों को बेचकर कुछ आय भी प्राप्त कर लेते हैं इसी महुआ के फूल को सुखाकर चना/ज्वार के साथ डुभरी बनाकर खाते है। डुभरी खाने का तात्पर्य इनकी गरीबी को स्वतः दर्शाता हैं, क्योंकि इनके पास आर्थिक विपन्नता अधिक होने से ये खाद्यान्न को क्रय करने की स्थिति में ये गरीब सौर कभी–कभी नही होते है। वन क्षेत्र से प्रमुख वनोपज के रूप में जलाऊ लकड़ी, तेदूपत्ता, गोद, आयुर्वेदिक औ ाधियां, अचार तथा खैर प्राप्त कर स्थानीय बाजारों में बेचते है। इनके अतिरिक्त वन क्षेत्र से सौर जनजाति को शहद, विभिन्न जीव–जन्तुओं की खालें एवं हड्डियां भी प्राप्त हो जाती है। जिनसे ये अपने तथा अपने परिवार के लिये आभू ाण जैसी वस्तुऐं बनवा कर पहनते है। इनकी स्त्रियों को सोने अथवा चांदी के आभूषणों को पहनने का बहुत शौक होता है। किन्तु इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण ये गिलट (मिश्र धातु) अथवा बाजार में मिलने वाले भत्वसकहवसक के आभूषणों का प्रयोग बड़ी मात्रा में करते है।

ऋण ग्रस्तता (Indebtedness)—यहां की सौंर जनजाति सभ्यता से दूर–विकास के क्रम में पिछड़ी अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से ग्रसित है। यद्यपि म.प्र. शासन ने जनजातीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इनके आर्थिक स्तर को उन्नत करने के लिये अनेक कार्यक्रम चला रखे हैं, जिनके अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टों का वितरण, बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य कर रही गरीब सौंर लोगों को बंधुओं मजदूरी से मुक्ति, कम ब्याज तथा आसान किस्तों पर शासकीय ऋण और विभिन्न क्रय की वस्तुओं पर बड़ी मात्रा में अनुदान देकर इनके विकास के अवसर सुनिश्चित किये गये हैं, किन्तु उपरोक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी सौंर परिवार के लोग समाज के अन्य बड़े कृषकों के भय से भूमि पट्टों पर या तो अपना स्वामित्व नहीं बना सके हैं, अथवा पटवारी द्वारा इन्हें अनुपयोगी और अनुपजाऊ भूमि पट्टे के रूप में अधिकांश सौरों को दे दी गई है। परिणामस्वरूप इस जनजाति के लोग आज भी अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार में जनसंख्या अधिक होने तथा आय कम होने के कारण भी इन पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है । किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 259 ग्रामों के लगभग 2600 परिवारों का प्रश्नावली के माध्यम से किया गया। ऋण ग्रस्तता का आंकलन यह दर्शाता है कि अधिकांश सौंर परिवार ऋणग्रस्त हैं तथा अनेक की स्थिति ऋण के बोझ तले दबे होने के कारण अत्यंत दयनीय है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि सौंर जनजाति के प्रायः 52.00ः परिवार ऋणों से ग्रसित हैं। इन 52.00ः में से 72.00ः सहकारी समितियों अथवा संस्थानों से तथा शेष 28.00ः साहूकारों से ऋण लिये हुये हैं। सौंर परिवार की ऋण ग्रस्तता का कारण प्रमुख रूप से कृषि कार्य, शादी विवाह, वस्त्राभूषण तथा आवास के अतिरिक्त उपचार हेतु दवाईयों का क्रय एवं अन्य कार्य होते हैं ।

आवास (Habitat)—आवास व्यवस्था के अंतर्गत मकान, खलिहान तथा पशुपालन के कमरे सम्मिलित हैं, जिनमें मानव अपनी स्वाभाविक प्रक्रियाऐं आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर पूरी करता है। सौंर जनजाति में आर्थिक विपन्नता होने के कारण प्रायः कच्चे मकान आवास व्यवस्था के रूप में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत देखे गये हैं । केवल नगरीय क्षेत्र में रहने वाले सौंर जनजाति के परिवारों में एक दो परिवार पक्के मकानों में निवास करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सौंर परिवार के व्यक्तियों की आवास व्यवस्था का प्रभाव उनके स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर पर स्पष्ट परिलक्षित होता है, तथा विपन्नता का प्रभाव उनकी आवासीय संरचना पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। किये गये सर्वेक्षण में किसी भी सर्वेक्षित ग्राम में अधिकांश सौंर परिवार के पास कोई पक्का मकान आवासीय संरचना के रूप में दिखाई न देना गंभीर चिंता का विषय है। यद्यपि स्वतंत्रता के 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु इन गरीब जनजातीय परिवारों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति में पूरी तरह से असफल रहे हैं। यही कारण है कि इस जनजाति के परिवारों में अधिकांश मकान कच्चे, एक से लेकर तीन कमरों युक्त देखे गये हैं। मकान के आगे अथवा पीछे बाड़े की संरचना की जाती है। जिसमें पशुओं के रखने की व्यवस्था निर्मित होती है। आवासीय बनावट के रूप में कच्चे मकान मुख्य रूप से उपलब्ध संसाधनों पर केन्द्रित होते हैं। जिसमें कच्ची मिट्टी के साथ ईंट पत्थर जोड़कर दीवारों का निर्माण किया जाता है तथा सिर ढकने के लिये घास–फूस सहित खपरैल की चादर चढ़ा दी जाती है। इस संरचना में बुन्देलखण्ड की संस्कृति का प्रभाव इन पर स्पष्ट झलकता है।

शासकीय योजनाओ का लाभ—व्यवसायिक दृष्टि से अधिकांश सौंर परिवार कुआ खुदाई, पम्पसेट, बैलगाड़ी, भेड़ बकरी पालन, किराना तथा सिलाई के लिये शासकीय समितियों तथा बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं इन परिवारों में अधिकांशतः कृभाक, कृषि मजदूर (लगभग 86ः तक) होते है । सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि अधिकांश सौंर कृभाकों ने कृषि के लिये अथवा दुकान खोलने की गरज से ऋण प्राप्त किया है । कृषि मजदूरों में प्रायः सभी परिवार पशुपालन के लिये अन्य व्यवसायों में लगे परिवारों ने सिलाई तथा कढ़ाई के लिये शासकीय ऋणों का उपयोग किया है। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवा में कार्यरत सौंर परिवार कोई ऋण नहीं लेते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि शासकीय ऋणों द्वारा हितग्राही बनने के लिये शिक्षा की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है क्योंकि 44.00ः अशिक्षित सौंर परिवारों ने विभिन्न कार्यो के लिये ऋण प्राप्त किया है । 42.00ः परिवार ऐसे हितग्राही है । जिन्होंने कक्षा 5 या उससे कम शिक्षा ग्रहण की है। शेष 14.00ः परिवार हितग्राही के रूप में शिक्षित कहे जा सकते हैं। सर्वेक्षित ग्रामों में कृषि, पशु पालन, किराना तथा सिलाई कढ़ाई के लिये प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों तथा उनको ऋण स्वीक ति के मध्य लगने वाले कुल समय की सीमा अनिश्चित होती है। अधिकांश परिवारों को विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रायः एक वर्ष के लिये ऋण स्वीकृत किया जाता है। किन्तु 8 माह से 12 माह के बीच 72ः सौंर परिवारों को ऋण की स्वीकृति उपरोक्त कार्यों के समुचित क्रियान्वयन के लिये प्राप्त हो सकी है । शेष परिवारों को यह सुविधा अधिक समय के लिये प्राप्त हो जाती है। किये गये सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 18ः सौंर परिवार कृषि तथा अन्य कार्य हेतु प्राप्त ऋण को गृह निर्माण के लिये 16ः परिवार सामाजिक रीति–रिवाजों एवं धार्मिक अनु ठानों,

दूध तथा अन्य वस्तुओं के क्रय करने और स्वास्थ्य लाभ के लिये व्यय करते हुये देखे गये हैं। सौंर जनजाति के विकास के लिये अनेक विकासोन्मुखी कार्यक्रम केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा व्यापक पैमाने पर क्रियान्वित किये गये हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के आधार पर मात्र 5.31ः सौंर परिवारों में नौकरी प्राप्त करने, उच्च शिक्षित होने, पारिवारिक दायित्वों को भली–भांति समझने, कृषि कार्यों को वैज्ञानिक पद्धति से करने तथा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों में आगे आने की चेतना आ सकी है, किन्तु अभी भी लगभग 95ः परिवार, रूढ़िवादी विचारधारा, सामाजिक जटिलताओं, कुरीतियों, न्यून ौक्षणिक स्तर, कमजोर स्वास्थ्य, उच्च जन्म एवं मृत्यु दर, लिंगानुपात में असंतुलन आवासहीन परिवारों, आधारभूत संरचनाओं में कमी तथा अन्य पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित होकर दीन–हीन स्थिति में दिखाई देते हैं। शासकीय सुविधाओं के वितरण में व्याप्त भटाचार, योजनाओं का समुचित ज्ञान न होने तथा सामाजिक तिरस्कार से पीड़ित ये सौंर अपने लिये मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने में भी अक्षम होते हैं। परिवार के प्रत्येक बड़े सदस्य को अर्थोपार्जन के लिये बाहर जाना पड़ता है और बच्चों को ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने वनों में जहां ये ईंधन एकत्रित करने के साथ–साथ ये महुआ एवं बेर बीनना तथा फसल बोने तथा काटने में माता–पिता की सहायता करते हैं । इसलिये इनकी प्राथमिक शिक्षा प्रभावित होती है, तथा परिवार के मुखिया भी विद्यालय भेजने के बजाय बच्चों को इन कार्यों को करने के लिये प्रेरित करते हैं।

स्वास्थ्य एवं पोशण स्तर (Level of Health and Nutrition)—अध्ययन क्षेत्र की सौंर जनजाति में गरीबी, कुपोषण, न्यूनपोषण तथा शराब की लत के कारण स्वास्थ्य में गिरावट स्पष्ट देखी जाती है। नवजात शिशु मृत्यु दर भी इसी कारण से इसी जनजाति में अधिक पायी जाती है। किये गये सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि 93ः व्यक्तियों को पर्याप्त कैलोरी में भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है इससे जन्म देने वाली माताओं की स्थिति अत्यंत गंभीर होती है, क्योंकि इन्हें आवश्यक मात्रा में कैलोरी के अभाव के अतिरिक्त गर्भावस्था में ही गृह कार्यों के साथ मजदूरी पर जाना होता है, और इनके पुरूषों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार भी सहन करने पड़ते हैं। लगभग 6ः जन्म देने वाली माताओं की प्रसव काल में ही मृत्यु भी हो जाती है । जन्म से लेकर 10 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं की स्वास्थ्य, दूध तथा अन्य उपयोगी भोजन के अभाव में स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत चिंताजनक दिखाई देती है । सर्वेक्षित सौंर जनजाति का समग्र स्वास्थ्य यद्यपि संतोषप्रद नहीं है इसके उपरान्त भी इनमें जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति सतत रूप से देखी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण इनमें उच्च जन्मदर का पाया जाना है। औसतन प्रति परिवार 5 से 6 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति इनमें आज भी दिखाई देती है। मनोरंजन के साधनों की कमी, परिवार नियोजन के प्रति अज्ञानता अथवा उसे अपनाने के संकोच के कारण तथा अशिक्षित परिवेश में जीवन यापन करने के कारण विवाह के एक वर्ष बाद ही संतानों–पत्ति में अपना योगदान करने लगते हैं। फलस्वरूप परिवार का आकार तेजी से बढ़ने लगता है जो शासकीय प्रयासों से परिवार नियोजन के साध ान अपनाने के लिये कुछ व्यक्तियों ने स्वीकार किया है जो अभी भी इनकी गरीबी एवं पिछड़ेपन की दृष्टि से अपर्याप्त है।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु प्रेरणात्मक प्रस्ताव–इस जनजाति में कुछ समय से लिंगानुपात घट रहा है और संतुलित विकास के लिये लिंग और आयुसंरचना को संतुलित किया जाना आवश्यक है। जो आदर्श स्थिति के लिये 50:50 के अनुपात होना चाहिये। अतः इनको प्रेरित किया जाय कि– * बालक एवं बालिकाओं के प्रति विभेद को समाप्त करें तथा दोनों को विकास के समान अवसर प्रदान किया जाय। * बालिकाओं को शिक्षा दीक्षा, समुचित भोज्य पदार्थ, लालन पालन के समान अवसर प्रदान किये जायें। * बालिकाओं की भीघ्र विवाह की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक एवं प्राचीन सोच में परिवर्तन। * प्रसूति की सुरक्षित व्यवस्था। * महिलाओं की आर्थिक कार्यों में समान भागीदारी, क्योंकि समाज के इस वर्ग में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, तथा महिला एवं पुरुश दोनों में न्यून शैक्षणिक स्थिति पाई गई है । अतः शिक्षा के विकास द्वारा इनके सामाजिक विकास को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित कार्य अपेक्षित हैः * आर्थिक संसाधनों की सुलभता। * प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार। * हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा की अनिवार्यता। * शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्ता हेतु उत्प्रेरण। * सामाजिक रूढ़ियों एवं जटिलताओं से मुक्त करने हेतु शैक्षणिक स्तर का विकास * बालिकाओं को शिक्षित करने पर विषेश बल देना तथा इनके बाल विवाह पर तत्काल प्रभावशील रोक। * शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधा के लिये हर संभव प्रयास करना आदि। सौंर जनजाति की आवासीय स्थित दयनीय है जो अनेक बीमारियों को सदैव निमंत्रण देती प्रतीत होती है। अस्तु इनकी आवासीय स्थिति के सुधार हेतु निम्नानुसार सुझाव प्रस्तावित हैं–

* आवास हेतु न्यूनतम ब्याज दरों एवं अनुदान सहित ऋण उपलब्ध करना। * वनों से इनकी निर्भरता को बनाये रखना। * इनकी संस्कृति एवं परम्परा के अनुसार आवासों को निर्मित करना। * प्रत्येक नव विवाहिता को नवीन आवास उपलब्ध कराना। * समाज के अन्य वर्ग की भाँति पशु आवासों को सम्मिलित आवासों से अलग करने हेतु सहायता प्रदान करना। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया है कि इनका स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित है। अतः स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित आयोजनायें प्रस्तावित हैं–

* परिवार के छोटे आकार की उपयोगिता को समझना। * भोज्य पदार्थों की उपलब्धता की गारंटी होना। * मदिरापान, धूम्रपान तथा तम्बाकू सेवन जैसी कुप्रथाओं पर बलपूर्वक रोक। * हरी शाक सब्जियों और उनकी शारीरिक आवश्यकताओं पर विषेश जोर देकर संतुलित भोजन के तरीकों को समझाना। * भोजन पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन आदि । अधिकांश सौंर परिवार आज शासकीय/संस्थागत तथा साहूकारों के ऋण के बोझ तले दबे हुये हैं। ये प्रायः साहूकारों से प्राप्त ऋणों का भारी दुरुपयोग भी करते हैं। जुआ खोरी और शराब सेवन की प्रवृत्ति इन्हें ऋणी बनाये रखने में विशेश सहयोग करती है। अतः इन्हें ऋण मुक्त कर आर्थिक कार्यों के सतत संचालन द्वारा इन्हें काम देने की प्राथमिक आवश्यकता अनुभूत की गई है। स्थानीय जलाशयों से मत्स्योत्पादन, बीड़ी निर्माण उद्योग, महुये का उचित मूल्य, पट्टों पर इनका कब्जा दिलाकर इनको ऋणमुक्त किया जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र की सौंर जनजाति आज सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही समस्याओं से बुरी तरह पीड़ित है और जब तक राज्य स्तरीय/केन्द्रीय सरकार इनकी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं होती तो यह स्थिति इनकी बनी ही रहेगी। अतः इनके संतुलित विकास हेतु नवीन कारगर योजनाओं की आवश्कता निर्विवाद है। इनके समग्र विकास हेतु कम से कम निम्नलिखित उपायों को तत्काल किया जाना अपेक्षित है।

* जनसंख्या वृद्धि पर तत्काल प्रभावशील रोक। * कम से कम हाई स्कूल की शिक्षा को पुरुष तथा महिलाओं के लिये अनिवार्यता। * इनके युवक/युवतियाँ जब तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण न कर लें तब तक किसी भी स्थिति में इनको विवाह न करने दिया जाय। * बाल विवाह की कुप्रथा पर तत्काल रोक। * दो बच्चों के परिवार का कानून लागू किया जाना। * आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिये वर्श में कम से कम 6 माह काम की गारंटी। * ऋण से तत्काल मुक्ति। * कृषि में नवाचारों के प्रवेश पर बल।उपरोक्त सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से जूझते ये सौंर परिवार इस क्षेत्र में अत्यधिक गरीब, आवासहीन, सुविधाहीन होकर सामाजिक उपेक्षा के शिकार भी हैं। इन्हें तात्कालिक नियोजन प्रक्रिया से संयुक्त कर बेहतर रोजगार और आर्थिक सुविधा संपन्न बनाने की आवश्यकता है। तभी इन गरीब जनजातीय परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा और राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से संयुक्त किया जा सकेगा। अन्यथा ये गरीब सौंर परिवार गुमनामी के अंधेरे में रहकर तिरस्कृत, उपेक्षित तथा आर्थिक विपन्नतायुक्त जीवन जीने के लिये सदैव विवश रहेंगे। आशा है मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार इनके विकास के लिये अधिक अधिक प्रयास करेंगी। आभारः–भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त शोध परियोजना अनुदान पर आधारित।